क्रम-संख्या–184

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 16 सितम्बर, 2016

भाद्रपद 25, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1411/79-वि-1–16-1(क)-33-2016
लखनऊ, 16 सितम्बर, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 पर दिनांक 15 सितम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 2016 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2016

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 2016)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 का संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1)यह अधिनियम मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जायेगा।

(2) यह 5 सितम्बर, 2006 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

धारा 3 का संशोधन

2–मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जायेंगी, अर्थात् :–

"(1) रामपुर, उत्तर प्रदेश में ट्रस्ट द्वारा राज्य के अन्य जिलों/नगरों में संघटक इकाई/परिसर सहित मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

(1–क) मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रारम्भ होने के दिनांक से राज्य के भीतर ट्रस्ट द्वारा स्थापित एवं प्रशासित संस्थायें और परिसर, मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के संघटक इकाई/परिसर समझे जायेंगे।"

धारा 7 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 7 में, खण्ड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(ञञ) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ संघटक इकाई/परिसरों, ऑफ कैम्पसों, ऑफशोर कैम्पसों, वर्चुअल कैम्पसों आदि की स्थापना करना।"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश के रामपुर में मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2005) अधिनियमित किया गया है। यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु संघटक इकाई/परिसरों, ऑफ कैम्पसों, ऑफशोर कैम्पसों, वर्चुअल कैम्पसों आदि की स्थापना करने के लिये उक्त विश्वविद्यालय को भूतलक्षी प्रभाव से अधिकार प्रदान करने की व्यवस्था की जाय।

तद्नुसार मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
रंगनाथ पाण्डेय,
प्रमुख सचिव।

No. 1411(2)/LXXIX-V-1–16-1(ka)-33-2016
Dated Lucknow, September 16, 2016

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Mohammad Ali Jauhar Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 28 of 2016) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 15, 2016.

THE MOHAMMAD ALI JAUHAR UNIVERSITY(AMENDMENT) ACT, 2016

(U.P. Act no. 28 of 2016)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

to amend the Mohammad Ali Jauhar University Act, 2005.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Mohammad Ali Jauhar University (Amendment) Act, 2016.

(2) It shall be deemed to have come into force on September 5, 2006.

2. In section 3 of the principal Act, *for* sub-section (1) the following sub-sections shall be *substituted*, namely:– **Amendment of section 3**

"(1) There shall be established a University by the trust in the name of the Mohammad Ali Jauhar University at Rampur in Uttar Pradesh alongwith its constituent unit/campus in other districts/cities of the State.

(1-A) The institutions and campuses established and administered by the Trust within the State from the date of commencement of the Mohammad Ali Jauhar University (Amendment) Act, 2016 shall be deemed to be constituent unit /campus of Mohammad Ali Jauhar University."

3. In section 7 of the principal Act, *after* clause (j) the following clause shall be *inserted*, namely:– **Amendment of section 7**

"(jj) to establish constituent unit/campuses, off campuses, off shore campuses, virtual campuses *etc.* for the purpose of achieving the objectives of the University."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Mohammad Ali Jauhar University Act, 2005 (U.P. Act no. 19 of 2005) has been enacted to establish a teaching University at Rampur in Uttar Pradesh by the name of the Mohammad Ali Jauhar University. It has been decided to provide for empowering the said University with retrospective effect to establish constituent unit/campuses, off campuses, off shore campuses, virtual campuses to achieve the objectives of the said University.

The Mohammad Ali Jauhar University (Amendment) Bill, 2016 is introduced accordingly.

By order,
RANG NATH PANDEY,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 393 राजपत्र (हि0)–2016–(943)–599 प्रतियाँ (डी0टी0पी0 / आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 87 सा0 विधायी–19–9–2016–(944)–300 प्रतियाँ (डी0टी0पी0 / आफसेट)।